रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072024-255624 CG-DL-E-22072024-255624

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2738]

No. 27381

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई<u>,</u> 2024

का.आ. 2875(अ).—जबिक, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 515(अ), दिनांक 03.02.2021 द्वारा सोहना के पास नए एनएच-248ए के जंक्शन से शुरू होकर हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका, राजस्थान राज्य में दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश राज्य में जौरा, रतलाम, और गुजरात राज्य में दाहोद, गोदरा को जोड़ते हुए डोडका (वडोदरा) के पास एनएच-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाएगा) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई-4 पर जो का.आ. 2142 (अ) दिनांक 03.06.2021 द्वारा एनई-4 के रूप में अधिसूचित एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, के डिजाइन कि.मी. 427+300 से किमी 452+425 तक {लंबाई 25.333 कि.मी. {208 मीटर सहित (चेनेज के पुन: निपटान के कारण 134 मीटर की वृद्धि + सीओएस के तहत अनुमोदित पुनर्सरेखण के कारण 74 मीटर की बढ़ी हुई लंबाई)} के 8 लेन खंड के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 24.8045 कि.मी. हेतु और 5.2850 कि.मी (जिनकी लंबाई 0.5285 कि.मी. है)

4414 GI/2024 (1)

लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के कॉलम (2) (इसके बाद इसे "आधार दर" कहा जाएगा) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर और सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर आधार दर के 125% की दर से शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से "बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली" के अंतर्गत उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी-2		
क्रम सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है (60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं को छोड़ते हुए)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(1)	(2)	(3)	(4)
	कोटा जिले के चेचट गांव के किमी 434+825 (इंटरचेंज शुल्क प्लाजा) पर (चेचट-रामगंजमंडी रोड, एसएच-9ए) पर	नीचे दी गई तालिका संख्या 3 पर दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%

	सारणी- 3						
	शुद्ध सड़क की लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (60 मीटर से अधिक लंबी संरचनाओं को						
		छोड़ते हुए)					
क्रम	से कि.मी. 427+300 कि.मी. कि.मी.						
सं.		पर प्रारंभिक बिंदु	434+825 पर	452+425 पर			
	शुल्क प्लाजा अंतिम बिंदु						
1	कि.मी. 427+300 पर प्रारंभिक 0.0000 7.1965 24.8045						
	बिंदु						

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

	सारणी – 4					
क्रम सं.	शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब-दूरी (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क देय है	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	कोटा जिले के चेचट गांव के किमी 434+825 (इंटरचेंज शुल्क प्लाजा) पर (चेचट-रामगंजमंडी रोड, एसएच-9ए) पर	नीचे तालिका 5 पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं के लिए दूरी मैट्रिक्स के अनुसार	कॉलम 3 के अनुसार दूरी का 10 गुना	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 125%		

	सारणी-5					
शुल्क प्लाजा x 10 के बीच संरचनाओं की सड़क लंबाई (> 60 मीटर लंबाई) के लिए दूरी मैट्रिक्स						
क्रम सं. से कि.मी. 427+300 कि.मी. कि.म पर प्रारंभिक बिंदु 434+825 पर 452+ शुल्क प्लाजा पर अ						
1	कि.मी. 427+300 पर प्रारंभिक बिंदु	0.0000	3.2850	5.2850		

60 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं का विवरण इस प्रकार है:

	सारणी-5ए					
क्रम सं.	पैकेज	संरचना का प्रकार	डिज़ाइन, किमी	संरचना की लंबाई (किमी में)	समकक्ष लंबाई (किमी में)	
Α	В	С	D	E	F=E x 10	
1	16	एमजेबी	427+816	0.120	1.200	
2		एमजेबी	430+540	0.100	1.000	
3		*इंटरचेंज	434+166	0.1085	1.085	
			इंटर	चेंज शुल्क प्लाजा (चेनेज		
				434+825)		
4		एमजेबी	442+050	0.100	1.000	
5		एमजेबी	451+690	0.100	1.000	
	कुल 0.5285 5.2850					

^{*}नोट: किमी 434+166 (चेचट) पर रोटरी/रैंप इंटरचेंज पर संरचनाओं की लंबाई को इंटरचेंज से पहले और बाद में सड़क की लंबाई के लिए समान रूप से विभाजित किया गया है।

3. कुल प्रभावी अवधि जिसके लिए शुल्क नियत और देय होगा, इस प्रकार है:

सारणी 6							
कु	कुल टोल योग्य सड़क लंबाई के लिए दूरी मैट्रिक्स (संरचनाओं की समतुल्य लंबाई> 60 मीटर लंबाई सहित)						
क्रम सं. से कि.मी. 427+300 कि.मी. कि.मी. 452+425 पर प्रारंभिक बिंदु 434+825 पर पर अंतिम बिंदु							
	शुल्क प्लाजा						
1	कि.मी. 427+300 पर	0.0000	10.4815	30.0895			
	प्रारंभिक बिंदु						

4. विभिन्न प्रकार की यातायात गतिविधियों के लिए उपयोगकर्ता शुल्क यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा:

	सारणी 7ए:					
	कोटा जिले (राष	जस्थान) से मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा तक प	एलएचएस पर चलने वाला यातायात			
क्रम सं.	किमी	से प्रवेश	से निकास			
f	केमी 417+810) पीकेजी-14 राजस्थान इंटरचेंज (प्रवेश और	निकास दोनों) पर पूर्ववर्ती शुल्क प्लाजा			
1	434+825	कोटा जिले के चेचट गांव के किमी 434+825 (इंटरचेंज शुल्क प्लाजा) पर	पैकेज-17 से प्रारंभ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ			
		(चेचट-रामगंजमंडी रोड, एसएच-9ए)	, पैकेज-16 (चेनेज 452+425) के अंतिम चेनेज			
		पर	पर समाप्त			

नोट: किमी 434+166 पर इंटरचेंज पर यातायात के प्रवेश और निकास के लिए, शुल्क खंड के आरंभ से अर्थात् किमी 427+300 से लगाया जाएगा।

सारर्ण	सारणी 7बी: मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से कोटा जिले (राजस्थान) तक आरएचएस पर चलने वाला यातायात					
क्र. सं.	क्र. सं. कि.मी. से प्रवेश पर समाप्त					
1	434+825	कोटा जिले के चेचट गांव के किमी 434+825 (इंटरचेंज शुल्क प्लाजा) पर (चेचट-रामगंजमंडी रोड, एसएच-9ए) पर	गोपालपुरा गांव (एनएच-52) पर पैकेज-14 (इंटरचेंज शुल्क प्लाजा) के किमी 417+810 पर निकास			

नोट: किमी 434+166 पर यातायात प्रवेश और निकास इंटरचेंज के लिए, शुल्क खंड के आरंभ से अर्थात् किमी 452+425 से लगाया जाएगा।

- 5. शुल्क प्लाजा को पार करके खंड के केवल एक हिस्से का उपयोग करने वाले वाहन को उस श्रेणी के वाहन के लिए केवल उस प्लाजा के लिए निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा और पूरे खंड का उपयोग करने वाले वाहन के पास पहले शुल्क प्लाजा पर पूरे शुल्क का भुगतान करने और शुल्क रसीद / ऑटो डेबिट दिखाकर दूसरे शुल्क प्लाजा को पार करने का विकल्प होगा।
- 6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	9 ,	की	वैधता अवधि
	अधिकतम संख्या		
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़	दो	सं	नंदाय के समय से चौबीस घंटे
गुणा			
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क	पचास	सं	नंदाय की तारीख से एक मास
की राशि का दो-तिहाई			

- * बशर्ते कि उपयोगकर्ता दो या अधिक समान इंटरचेंज फीस प्लाजा के बीच एक ही सड़क खंड का उपयोग करता हो।
- ** यह विशेष पास पूरे खंड पर चलने वाले यातायात के लिए लागू होगा।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
- 11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 919.11 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

[फा. स. एनएचएआई/13013/सीओ/23-24/फी नोटिफिकेशन/डीवीई/पीकेजी16/ई-234769]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2024

S.O 2875(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 515 (E) dated 03.02.2021 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch starting from its junction with new NH-248A near Sohna connecting Firozpur Jhirka in the state of Haryana, Dausa, Lalsot, Sawai Madhopur, Kota, Jhalawar in the state of Rajasthan, Jaora, Ratlam in the state of Madhya Pradesh, Dahod, Godra and terminating at its junction with NH48 near Dodka (Vadodara) in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, hereby levies the fee on mechanical vehicles at 125% of the rate specified in Column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate") for net road section length of 24.8045 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.2850 Km (having length of 0.5285km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of 8 lane section from Design Km 427+300 to Km 452+425 {length 25.333 Km. {Including 208 mtr(Increased 134 mtr due to re-settling of chainage + 74 mtr increased length due to realignment approved under CoS)} on National Highway No.NE-4 in the State of Rajasthan, which is part of Expressway notified as NE-4 vide S.O. No. 2142 (E) dated 03.06.2021 and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee under "Closed User Fee Collection System", namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza (s) for net road length specified between any two of such Fee Plazas:

	Table -2					
S. No.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which fee is payable (Excluding Structures > 60m length)	Rate at which fee is payable			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Km 434+825(Interchange Fee Plaza) on(Chechat-Ramganjmandi Road, SH-9A)	as per the distance matrix at Table No. 3 below	mentioned in Table			
	Chechat Village in Kota District		No 1 above.			

	Table 3					
	Distance matrix for net road length (Excluding length of structures >60 m)					
SI. No.						
1	Starting Point at Km 427+300	0.0000	7.1965	24.8045		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

	Table-4					
S.no.	Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Km 434+825 (Interchange Fee Plaza) on (Chechat-Ramganjmandi Road, SH-9A) Chechat Village in Kota District	As per the distance matrix for structures > 60 m length at Table 5 below	10 times of the distance as per col.3	125% of the base rates mentioned in Table No 1 above.		

Table 5					
Distance matrix for road length of structures (> 60m length) between Fee Plazas x 10					
Sl. No.	From	Starting Point at Km 427+300	Fee plaza at Km 434+825	End point km 452+425	
1	Starting Point at Km 427+300	0.0000	3.2850	5.2850	

The details of structures having length more than 60m are as under:

	Table-5A					
Sr.No.	Package	Type of Structure	Design, Km	LengthofStructure (inKm)	EquivalentLength(inKm)	
A	В	С	D	Е	F=E x 10	
1	16	МЈВ	427+816	0.120	1.200	
2		МЈВ	430+540	0.100	1.000	
3		*Interchange	434+166	0.1085	1.085	
		Interchange Fee Plaza (Ch.434+825)				
4		МЈВ	442+050	0.100	1.000	
5		МЈВ	451+690	0.100	1.000	
	Total 0.5285 5.2850				5.2850	

^{*}Note: The length of structures at Rotary/Ramp Interchanges at Km 434+166(Chechat) has been divided equally for road length before and after the interchange.

3. The net effective length for which fee shall be due and payable is as under:

	Table 6					
Dis	Distance matrix for total tollable road length (Including equivalent length of structures >60 m length)					
Sl. No.	From Starting Point at Km Fee plaza at Km End point km					
	427+300 434+825 452+425					
1	Starting Point at Km 427+300	0.0000	10.4815	30.0895		

4. The various types of traffic movements for which the user Fee will be charged on the basis of actual distances travelled is as under:

	Table7A: Traffic Plying on LHS from Kota District (Rajasthan)to M.P/Rajasthan Border				
Sl. No.					
	Preceding Fee Plaza at Km. 417+810 PKG-14 Rajasthan Interchange (both Entry & Exit)				
1	434+825	Km 434+825 (Interchange Fee Plaza) on (Chechat-Ramganjmandi Road, SH-9A) Chechat Village in Kota District	Exit at end chainage of Package -16 (Ch. 452+425), Package-17 Start towards MP		

Note: For traffic entry and exit at interchange at Km 434+166, the fee shall be levied from starting of stretch i.e Km 427+300.

	Table7B: Traffic Plying on RHS from M.P/Rajasthan Border to Kota District (Rajasthan)				
Sl. No.	KM	Entry From	Exit To		
1	434+825	Km 434+825 (Interchange Fee Plaza) on (Chechat-Ramganjmandi Road, SH-9A) Chechat Village in Kota District	Exit at Km. 417+810 of Package-14 (Interchange Fee Plaza) at Village Gopalpura (NH-52)		

Note: For traffic entry and exit interchange at Km 434+166, the fee shall be levied from starting of stretch i.e Km 452+425.

- **5**. The vehicle using only a part of the section by crossing a fee plaza shall pay the specified fee for that category of the vehicle for that plaza only and the vehicle using the whole section shall have an option to pay the whole fee at the first fee plaza and cross another fee plaza by showing the fee receipt/ Auto Debited.
- **6.** For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of Validity
One and half times of the fee for one-way	Two	Twenty-four hours from the time
journey*		of payment
Two-third of amount of the fee payable for	Fifty	One month from date of payment
fifty single journeys**		

st Provided that the user uses the same road section between two or more same interchanges Fee Plazas.

^{**} This particular pass will be applicable for traffic plying on complete stretch.

- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- **8.** All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
- 10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
- 11. The estimated capital cost of the project is Rs. 919.11 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NHAI/13013/CO/23-24/FeeNotification/DVE/Pkg16/E-234769] SUMAN PRASAD SINGH, Jt.. Secy.